तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.26/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.12.2020	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी भंवरलाल माली पुत्र उकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, इन्द्रापुरी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री प्रकाश माली उपस्थित। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी अभियुक्त भंवरलाल माली की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने को अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी भंवरलाल माली के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिसब्राण्ड किसमिस (रामू ब्राण्ड) के विक्रय जाने से यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यह कि किसमिस प्राकृतिक चीजें है, जो जिसका जिस स्थिति में उत्पादन हुआ उसी अनुरुप विक्रय किया गया है इसमें प्रतिवादी ने कोई मिलावट नही की है। प्रतिवादी को इस बात की जानकारी नही थी कि किसमिस पर रामू ब्राण्ड का जो लेबल है वह मिसब्राण्ड की श्रेणी में आता है। यह कि उक्त किसमिस (रामू ब्राण्ड) की पैकिंग निर्माता फर्म द्वारा की गई है, प्रतिवादी ने उक्त किसमिस की पैकिंग व निर्माण नही किया है। यह कि प्रतिवादी का प्रथम अपराध है व प्रतिवादी एक गरीब दुकानदार है, जो गांव में अपनी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2019 को सायं 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म आम्बेश्वर किराणा स्टोर, इन्द्रापुरी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। उक्त फर्म आम्बेश्वर किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी भंवरलाल माली पुत्र उकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, इन्द्रापुरी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ किसमिस (रामू ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आम्बेश्वर किराणा स्टोर, इन्द्रापुरी, गोयली के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ किसमिस (रामू ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद किसमिस (रामू ब्राण्ड) के 500 ग्राम के 16 पैक्ड पाउचेज. में से 500 ग्राम के 4 पैक्ड पाउचेज किसमिस (रामू ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कीमत राशि रुपये 430/– (अक्षरे चार सौ तीस मात्र) अदा कर नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ किसमिस (रामू ब्राण्ड) के नमूने के एक भाग को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:12 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य न्या. मजिस्ट्रेट
सिरोही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.26/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./908/Act/2019/987 दिनांक 20.11.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ किसमिस (रामू ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर बैच नम्बर, निर्माण/पैकिंग तिथि, निर्माता का नाम व पता आदि अंकित नही पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी भंवरलाल माली द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ किसमिस (रामू ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी भंवरलाल माली पुत्र उकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, इन्द्रापुरी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक, फर्म आम्बेश्वर किराणा स्टोर, इन्द्रापुरी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही पर रशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी भंवरलाल माली पुत्र उकाराम माली, जाति– माली, निवासी– पानी की टंकी के पास, इन्द्रापुरी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13.1.2021 को पेश हो।

18/12/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:12 IST
Reason: SelfAttested